श्रीमान उपवन संरक्षक

कार्यालय उपवन संरक्षक (टेरोटोरियल),

सिविल लाईन, कोटा

विषय :– Land for Extention of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Simiti

(FR/RJ/OTHER/20036/2016)

संदर्भ :– आपका पत्रांक एफ ( )उवस/तक/2018–19/3226 दिनांक

10.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तगर्त निवेदन हैं कि उक्त पत्र में आप द्वारा एन.एच. 76 की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करते समय शर्त संख्या 5 का उल्लेख किया है। जिसमें एन.एच. 76 के कोटा बाई पास के 1 कि.मी. परिधी में मिटिगेटिव मेजर्स के अन्तर्गत वन भूमि पर ग्रीन बैल्ट विकसित किया जाना है। उक्त प्रस्तावित वन भूमि उक्त ग्रीन बैल्ट में आती है। परन्तु अभी तक भारत सरकार से आवश्यक बजट प्राप्त नही होने से इस क्षेत्र ग्रीन बैल्ट विकसित नही की जा सकी है।

इस संदर्भ में आपसे निवेदन हैं कि प्रार्थी यूजर एजेन्सी का इस शर्त से कोई लेना देना नहीं है न ही प्रार्थी यूजर एजेंसी(मण्डी समिति) पार्टी थी । जहाँ तक उपरोक्त भूमि पर ग्रीन बैल्ट डवलप करने का प्रश्न है तो उपरोक्त भूमि किसी भी प्रकार से वृक्षारोण हेतु उपयुक्त नहीं है। और न ही उक्त भूमि पर वृक्षारोपण संभव है क्योंकि उक्त भूमि पर वर्तमान में एक भी पेड़, झाड़ी, घांस आदि नही हैं क्योंकि उक्त भूमि जमीन से ऊपर चट्टानी है। तथा उस पर एक सेंटीमीटर की भी मिट्टी की लेयर नही होने से किसी भी प्रकार का पेड़ पौधे उगना संभव नही है। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमान की टिप्पणी जो भूमि प्रत्यावर्तन हेतु भरकर श्रीमान द्वारा नोडल ऑफिसर को भेजी गई है उससे पुष्टि होती है, ऐसी स्थिति में भूमि के बदले भूमि जिस पर प्लांटेशन किया जा सके ही एक मात्र उपाय है यूजर एजेन्सी भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है। जिसका शपथ पत्र यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्व में ही दिया जा चुका है। परन्तु फिर भी नियमों में मिटीगेटीव लेजर्स को शिथिल करने का प्रावधान है और इसके लिये यदि राज्य सरकार या नोडल ऑफिसर यूजर एजेन्सी मण्डी समिति को इस बाबत कोई दिशा निर्देश देता है तो वह संबंधित सक्षम अर्थोंरिटी अथवा न्यायालय से इस बाबत् दिशा निर्देश एवं आदेश प्राप्त कर लेगा।

अतः पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि उक्त प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव नियमानुसार नोडल आफिसर एफ.सी.ए. को अपनी संबंधित टिप्पणी के साथ थ्रू प्रोपर चैनल भिजवाने का कष्ट करें । यहाँ यह उल्लेखनीय हैं कि एक बार जब प्रत्यावर्तन का आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसे नियमानुसार अपनी टिप्पणी के साथ आगे नोडल आफिसर को थ्रू प्रोपर चैनल ही भेजा जा सकता है। यह अधिकार राज्य सरकार का है कि वह अपनी अनुशंषा हाँ या ना में केन्द्र सरकार को भिजवायें और इस पर केन्द्र सरकार ही प्रस्ताव के स्वीकार या अस्वीकार का अधिकार रखता है। अन्य किसी को भी प्राप्त आवेदन को जो किसी भी वन भूमि को गैर वानिकि कार्य के लिये उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत हुआ है को लौटाने का प्रावधान वन संरक्षण अधिनियम 1980 में नहीं है।

अतः उक्त पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी मण्डी समिति के प्रत्यावर्तन के प्रपोजल को थ्रू प्रोपर चैनल नोडल ऑफिसर, एफ.सी.ए. को भेजकर अनुग्रहित करें।

दिनाँक :– 16.04.2018

स्थान :– कोटा

(डॉ. आर.पी.कुमावत)

सचिव

कृषि उपज मण्डी (अनाज)

विशिष्ट श्रेणी, कोटा